छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल
पुराना नर्सेस हास्टल, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
रायपुर, छत्तीसगढ़

क्रमांक/रजि0 नर्सिंग कां0/परीक्षा/2022/2801 रायपुर, दिनांक 17/10/2022

37वीं काउन्सिल परीक्षा हेतु दिशा निर्देश निम्नानुसार हैः–

1/ परीक्षा पूर्व यदि प्रश्न पत्र के लिफाफा के साथ छेड़–छाड़ किया जाता हैं। या पहले लिफाफा खुला मिलता हैं, उस स्थिति में परीक्षा केन्द्र, केन्द्र अध्यक्ष एंव केन्द्र समीक्षक के उपर आवश्यक एंव अनुशासनात्मक कार्यवाहीं करते हुए FIR छ.ग. नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल द्वारा किया जाएगा। इसलिए प्रश्न पत्र काउन्सिल से लेने पूर्व पुरी तरह जांच करके लेंगें।

2/ जिस लिफाफा से प्रश्न पत्र (प्रत्येक विषय) का प्राप्त किये हैं उस लिफाफा को छ.ग. नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल के परीक्षा शाखा में उत्तरपुस्तिका के समय वापस करेगें।

3/ प्रश्न पत्र छ.ग. नर्सेस रजिस्ट्रेशन से प्राप्त करने के उपरांत सम्पूर्ण जवाबदारी केन्द्र अधीक्षक एंव केन्द्र समीक्षक की होगी।

4/ प्रश्न पत्र जहां भी रखेगें वहां के आलमारी व कमरे में ताला लगाकर वहां उपस्थित पांच (05) कर्मचारी/अधिकारी के हस्ताक्षर करायें एंव इसकी समय एंव तिथि के साथ फोटोग्राफी एंव विडियोग्राफी कर रजिस्ट्रार छ.ग. नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल को तुरंत अवगत करायें।

5/ उपरोक्त कड़िका में दिये गये प्रकिया को प्रति दिन प्रत्येक परीक्षा में अनिवार्य रूप से करें।

6/ परीक्षा संबंधी समस्त दस्तावेज, परीक्षा कक्ष में उपलब्ध होना अनिवार्य हैं। जैसे– नकल प्रकरण संबंधी नियम, परीक्षा संबंधी नियम आदि।

7/ परीक्षा संबंधी नियमों का पालन करते हुए परीक्षा कार्य सम्पन्न करेगें।

8/ यदि किसी छात्र/छात्रा द्वारा अनुचित साधान का उपयोग किया जाता है तो उस स्थिति में नकल प्रकरण बनाना सुनिशिचत करें एंव अनुचित साधन में उपयोग की गयी वस्तु को उत्तरपुस्तिका में संलग्न (स्टेपल) करेगें। एंव छ.ग. नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल को अवगत करायेंगें

9/ भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा दिये गये जी.एन.एम. पाठ्यकम के अनुसार प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न करायें। (उदाहरण ओल्ड कोर्स जी.एन.एम. तृतीय वर्ष में पीडायट्रीक नर्सिंग की छात्र/छात्रा है, तो उनका प्रायोगिक परीक्षा अवश्य लेंगें।)

10/ परीक्षा केन्द्र में उपस्थित एंव अनुपस्थित छात्र/छात्राओं का उपस्थिति पत्रक आवश्यक रूप से छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल के परीक्षा शाखा में उत्तरपुस्तिका जमा करते समय उपलब्ध करायें।

11/ परीक्षा कक्ष में बैठने के उपरांत छात्र/छात्राओं को नकल प्रकरण से संबंधित नियम अनिवार्य रूप से अवगत करायेगें।

12/ परीक्षा कक्ष में परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व छात्र/छात्रओं का बैठना अनिवार्य हैं। परीक्षा समाप्ति के पांच मिनट पूर्व उत्तर पुस्तिका में लिखना बंद करने हेतु निर्देश देंगें।

13/ यदि परीक्षा केन्द्र में सी.सी.टी.वी. कैमरा है तो उसकी विडियों फूटेज अनिवार्य रूप से संधारित कर रखेगें। ताकि जरूरत पड़ने पर काउन्सिल द्वारा मंगाया जाएगा तो प्राप्त हो सकें।

रजिस्ट्रार
छ.ग. नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल
छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल
पुराना नर्सेस हॉस्टल, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771–2227600 ईमेल snrc.cg@gmail.com, वेबसाइट www.cgnrc.org

क्रमांक/रजि0 नर्सिंग कां0/2022/218 रायपुर, दिनांक 7/2/2022

//आदेश//

रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल की अध्यक्षता में काउंसिल द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के स्पष्ट नियम एवं दिशा निर्देश बनाये जाने हेतु बैठक आयोजित की गई थी जिसमें निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

1. परीक्षाफल घोषित दिनांक से 15 दिवस के अंदर पुनर्गणना (अंको का सत्यापन)/पुनर्मूल्यांकन या सूचना के अधिकार के तहत्/उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रदाय हेतु इस तीनों प्रक्रिया के लिए काउन्सिल द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत कर सकता हैं।

2. पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन/या सूचना के अधिकार के तहत् उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रदाय हेतु अभ्यर्थी किसी एक के लिए ही एक आवेदन कर सकता हैं। उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रदाय उपरांत पूर्नमूल्यांकन हेतु पृथक से 15 दिवस का समय नहीं दिया जावेगा। सूचना के अधिकार के तहत् उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति मांगे जाने पर प्रति विषय रू. 1500/– काउंसिल के खाते में www.cgnrc.org में Payment करें।

3. पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन/उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रदाय हेतु ली गई शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं की जावेगी। ऊपर वर्णित परिस्थितियों के अतिरिक्त कोई भी अभ्यार्थी अपने उत्तर/उत्तरों की पुनः जांच करवाने के लिये या उत्तरपुस्तिकाओं या अन्य दस्तावेजों जिन्हें काउंसिल द्वारा अति गोपनीय समझा जाता हो, के प्रकटीकरण या निरीक्षण के लिये न दावा करेगा और न ही हकदार होगा। अभ्यर्थी के यथापूर्व में घोषित परीक्षाफल में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता हैं तो उसे काउंसिल की वेबसाईट पर या प्रशिक्षण केन्द्र को सूचना दी जायेगी।

पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन/उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रदाय की प्रक्रिया

काउंसिल निर्णय अनुसार पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन/उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रदाय की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं –

1. पुनर्गणना हेतु प्रति विषय रू. 500/– पुनर्मूल्यांकन हेतु प्रति विषय रू. 500/– एवं उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रदाय हेतु प्रति विषय रू. 1500/– शुल्क निर्धारित किये गये हैं । परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के अंदर अभ्यर्थी उपरोक्त में से किसी एक प्रक्रिया हेतु आवेदन कर सकता हैं। आवेदन करने के लिये निर्धारित प्रारूप काउंसिल की वेबसाईट www.cgnrc.org से प्राप्त किये जा सकतें है, जिसे भरकर निर्धारित शुल्क के साथ छ.ग. नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल में जमा किया जा सकता हैं ।

2. उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन के लिए पृथक से 15 दिवस का समय नहीं दिया जावेगा, परीक्षाफल घोषित दिनांक से 15 दिवस के अंदर ही किसी एक प्रक्रिया हेतु आवेदन करना होगा।

क्रमशः

4/02/22

3. उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति के लिये आवेदन करने वाले छात्रों को उत्तरपुस्तिका छायाप्रति काउंसिल द्वारा प्रेषित की जाती हैं । सामान्यतः उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रदाय होने तक पुनर्मूल्यांकन हेतु कियें जाने वाले आवेदन की तिथि समाप्त हो जाती हैं । अतः अभ्यर्थी को पुनर्मूल्यांकन हेतु परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिन के अंदर ही आवेदन करना होगा। उत्तपुस्तिका की छायाप्रति प्रदाय करने के उपरांत पृथक से पुनर्मूल्यांकन हेतु कोई समय नहीं दिया जायेगा और न ही किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार किया जायेगा।
4. पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन दो मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा कराया जायेगा तथा दोनों मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा दिये गये अंको के औसत पूर्व में प्राप्त अंको से 10 प्रतिशत या उससे अधिक वृद्धि होने पर ही, अंको में वृद्धि की जायेगी। पुर्नमूल्यांकन में अंको की कमी होने पर अंक घटाये नहीं जायेगें अर्थात् पुर्व के अंक यथावत् रहेंगे।
5. पुनर्गणना के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि पुनर्गणना में अभ्यर्थि के अंको में कमी एवं वृद्धि दोनों मान्य की जावेगी, अर्थात् एक अंक की भी कमी/वृद्धि मान्य की जायेगी।
6. पूरक/अनुत्तीर्ण वाले अभ्यर्थियों के पुनर्मूल्यांकन उपरांत किसी विषय में 10 प्रतिशत या उससे अधिक अंकों की वृद्धि होती है, और परीक्षाफल में कोई भी परिवर्तन नही होता है, तो अंक वृद्धि मान्य नहीं की जावेगी अर्थात् ऐसे अभ्यर्थियों को नवीन अंकसूची प्रदाय नहीं की जावेंगीं।
7. पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन/उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रदाय हेतु जमा की गई शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जावेगी।
8. पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन के अंतर्गत अंको में कमी/वृद्धि मान्य किये जाने पर संशोधित अंकसूची जारी की जायेगी। काउंसिल द्वारा संशोधित अंक सूची अभ्यर्थी की स्थिति में संबंधित प्रशिक्षण संस्था को प्रेषित की जायेगी। अभ्यर्थी संबंधित संस्था में पुरानी अंकसूची जमा कर संस्था के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित संशोधित अंकसूची प्राप्त कर सकेगा।
9. भारतीय उपचर्या परिषद् नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देशानुसार सैद्धांतिक परीक्षा में 85% एवं प्रायोगिक (Clinical) परीक्षा में 100% उपस्थिति अनिवार्य है इसके अभाव में किसी भी प्रशिक्षणार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

18 4/02/22

रजिस्ट्रार
छ0ग0 नर्सेस रजि0 काउंसिल
रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल
पुराना नर्सेस हॉस्टल, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771–2227600 ईमेल snrc.cg@gmail.com, वेबसाइट www.cgnrc.org

क्रमांक / रजि0 नर्सिंग कां0 / 2022 / 1143 रायपुर, दिनांक 9 / 5 / 2022

/ / कार्यालयीन आदेश / /

काउंसिल परीक्षा एवं परीक्षाफल से संबंधित दिनांक 04 / 02 / 2022 के बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार काउन्सिल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्राप्त नकल प्रकरणों को निम्नानुसार 09 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसमें दिये जाने वाले दण्ड के संबंध में निम्नानुसार नीति निर्धारित की गई है:–

स.क्र.	नकल का प्रकार	दण्ड का प्रकार
1.	नकल सामग्री प्राप्त होना विषय से संबंधित	परीक्षाफल निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।
2.	एक विषय में नकल कोई उदण्डता नहीं	परीक्षाफल निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।
3.	एक से अधिक विषय में नकल कोई उदण्डता नहीं	इस वर्ष दी गई परीक्षा / परीक्षाफल निरस्त।
4.	नकल के साथ उदण्डता तथा हस्ताक्षर से इंकार करना, चिट निगलना, चिट को नष्ट करना उत्तर पुस्तिका फाड़ना, उत्तर पुस्तिका लेकर भागना या धमकी देना	इस वर्ष की दी गयी परीक्षा / परीक्षाफल निरस्त तथा आगामी 01 वर्ष तक परीक्षा से वंचित।
5.	पर्यवेक्षक / केन्द्राध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार मारपीटकर नकल करना।	इस वर्ष की दी गयी परीक्षा / परीक्षाफल निरस्त तथा आगामी 02 वर्ष तक परीक्षा से वंचित।
6.	उत्तर पुस्तिका में हस्तलिपि में भिन्नता, पृष्ठ बदलना या अनाधिकृत पृष्ठ संलग्न करना या परीक्षा कक्ष में प्रदाय की गई उत्तर पुस्तिका से दूसरा उत्तर पुस्तिका प्राप्त होना।	इस वर्ष की दी गयी परीक्षा / परीक्षाफल निरस्त तथा आगामी 02 वर्ष तक परीक्षा से वंचित।
7.	(अ) सामूहिक नकल प्रकरण विशिष्ट एवं स्पष्ट प्रकरण।	सामूहिक नकल के प्रमाण सिद्ध होने पर उस केन्द्र की परीक्षा एवं परीक्षाफल निरस्त होगा तथा भविष्य के लिये परीक्षा केन्द्र नहीं बनायें जायेंगे। परीक्षा केन्द्र पर पदस्थ केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष / पर्यवेक्षक तथा परीक्षा केन्द्र में लगे शिक्षकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना।
	(ब) वास्तविक परीक्षार्थी के स्थान पर दूसरे व्यक्ति (छात्र) का परीक्षा में बैठना	(1) प्रकरण में एफ.आई.आर. दर्ज करवायी जावे, निराकरण होने पर नस्ती सुरक्षित रखी जावें। (2) दी गई परीक्षा ए वं परीक्षाफल निरस्त एवं आगामी 01 वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाना।
	(स) एक परीक्षार्थी की दो उत्तरपुस्तिका होने पर	केन्द्राध्यक्ष के विरूद्ध कार्यवाही तथा परीक्षार्थी का इस वर्ष की परीक्षा एवं परीक्षाफल निरस्त एवं आगामी 01 वर्ष तक परीक्षा से वंचित किया जाना।

क्रमश....2

09/05/22

8.	निरीक्षण दल/जिला कलेक्टर द्वारा सामूहिक नकल प्रकरण रिपोर्ट या उदण्डता	नकल प्रकरण जिसक केन्द्र में बने है उस केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष/पर्यवेक्षकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं केन्द्र को आगामी परीक्षा के लिये बंद करना, जिन परीक्षार्थियों के नकल प्रकरण बने हैं, उनकी इस वर्ष की परीक्षा एवं परीक्षफल निरस्त तथा आगामी एक वर्ष के लिये परीक्षा से वंचित किया जाना।
9.	उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के समय सामूहिक नकल का संदेह/प्रमाणित होने पर	इस वर्ष की परीक्षा व परीक्षाफल निरस्त करना।

19/05/22

रजिस्ट्रार
छ.ग. नर्सेस रजि. काउन्सिल
रायपुर, छत्तीसगढ़